सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. **अपील संख्याः 74/14** निर्णय दिनांक : 18.1.2018

1. पन्नालाल पुत्र स्व. किसनलाल जाति सुथार निवासी बी—29, करणीनगर, लालगढ़, बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. नत्था उर्फ नत्थुराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासी खारा तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. **अपील संख्या 115/14**

1. भंवरसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी गांव खारा तहसील व जिला बीकानेर।

अपीलांट्

**—बनाम—**

1. नत्था उर्फ नत्थुराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासी खारा तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

3. **अपील संख्या 89/14**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

अपीलांट्

**—बनाम—**

1. नत्था उर्फ नत्थुराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासी खारा तहसील व जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2014**
**उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर**

**उपस्थितः**

1. श्री सन्तनाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट्(अपील संख्या 74/14)
2. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट(अपील संख्या 115/14)
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक
4. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

**–निर्णय–**

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 का वाद डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. उपरोक्त तीनों अपीलों में निर्णित किये जाने योग्य वैधानिक बिन्दु एक समान है। इसलिए इन तीनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त तीनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

**अपील संख्या 75/2014**

4. (ए) विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने **अपील संख्या 75/2014** में बहस करते हुए बताया कि विवादित भूमि ग्राम खारा तहसील बीकानेर के हाल खसरा नम्बर 227 तादादी 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 208 तादादी 0.80 हेक्टर, कुल 1.25 हेक्टर भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई वास्ता नहीं है। ना ही उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में रही है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 20–01–1975 को उक्त विवादित भूमि कुल 27 बीघा सौदागर राम व सुन्दरराम को जरिये विक्रयपत्र कानूनन विक्रय कर दी गई थी।

सौदागरराम व सुन्दरराम का दावा दिनांक 17—03—2006 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट भी एक पक्षकार था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की जवाबदेही के उपरान्त दावा खारिज किया गया था। उक्त निर्णय में अदालत मातहत द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त विवादित भूमि को विक्रय करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट को नहीं था। क्योंकि उक्त भूमि आराजीराज होने पर आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा एम.एफ.एफ.आर के आवंटन भूराराम को खसरा नम्बर 227 में 22 बीघा आवंटन कर दी गई है। शेष 5 बीघा भूमि जो अपीलांट ने आवंटन कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। उक्त प्रार्थना पत्र आज दिनांक को भी जैरकार है।

**(बी)** उन्होंने आगे बताया कि चूंकि अपीलांट के स्व.पिता किसनलाल के नाम से भी नहर में काटी गई थी। जिसके कारण अपीलांट आवंटन कराने का पात्र है तथा उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में है। जब वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट नत्था द्वारा दिनांक 20—01—1975 को उक्त 27 बीघा भूमि सौदागरसिंह व सुन्दरराम को विक्रय कर दी गई थी तो ऐसी स्थिति में धारा 54 टीपी एक्ट के तहत विक्रय करने के बाद कोई अधिकार ही शेष नहीं रहा जाता है। सौदागरसिंह व सुन्दरराम द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत करने पर उक्त दावे में नत्थ भी बतौर रेस्पोडेन्ट स्थापित था तथा रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता उपस्थित थे। उक्त दावा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 17—03—2006 को खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नत्था को खातेदार धोषित करने में कानूनी भूल कारित की है।

**(सी)** रेस्पोडेन्ट नत्था द्वारा उक्त तमाम तथ्यों को छिपाते हुए अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हुए मिथ्या कथनों पर निर्णय व डिक्री कराया है। रेस्पोडेन्ट नत्था द्वारा वादगत् भूमि खसरा नम्बर 208 व 227 में से 22 बीघा भूमि भूराराम को एम.एफ.एफ.आर. आवंटी के तौर पर आवंटित कर दी गई। जिसके विरूद्व नत्था द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा वादगत् भूमि 27 बीघा को सही रूप से आराजीराज किया गया है। उक्त

आराजीराज भूमि में 5 बीघा भूमि भी सम्मिलित है। उक्त कार्यवाही के विरूद्व रेस्पोडेन्ट नत्था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चाराजोई कर चुका है। जहॉ उसे किसी प्रकार का केाई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है।

**(डी)** अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नत्था धारा 11 सीपीसी के तहत रेस्ज्यूडिकेसा के भी बाधित है क्योंकि आराजीराज भूमि के विरूद्व वह तमाम चाराजोई कर चुका है। चूंकि अपीलांट के पिता स्व. किसनलाल के नाम से ग्राम खारा के पुराना खसरा नम्बर 277 में 25 बीघा भूमि खातेदारी भूमि थी जिसमें से 5 बीघा भूमि वैद्य मघाराम वितरिका के कट गई। अपीलांट द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि की एवज में भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी खारा द्वारा दिनांक 13—06—2012 को खसरा नम्बर 208 में 0.80 हेक्टर व खसरा नम्बर 227 में 0.45 हेक्टर भूमि के आराजीराज के प्रस्ताव मय नक्शा तहसीलदार, बीकानेर को प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, बीकानेर को दिनांक 15—06—2012 को अग्रेषित किया गया है।

**(ई)** इस प्रकार अपीलांट का प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के स्तर पर जैरकार है। इसलिए अपीलांट पन्नालाल अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12—06—2014 से पीड़ित है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व दिनांक 30—05—2014 व दिनांक 05—06—2014 को तनकीयात् कायम की गई व दिनांक 10—06—2014 को साक्ष्य लेते हुए दिनांक 11—06—2014 को शहादत कायम की गई व दिनांक 12—04—2014 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन—फानन में मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से की गई है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य साबित थे कि रेस्पोडेन्ट नत्था द्वारा वादगत् भूमि वर्ष 1975 में ही सौदागरसिंह व सुन्दरराम को विक्रय कर दी गई थी तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए दावा प्रस्तुत किया गया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा तमाम कार्यवाही एक ही दिन में

करते हुए सरकार को राजहित का नुकसान पहुॅचाया गया है। चूंकि अपीलांट की खातेदारी भूमि को नहर में अवाप्त किया गया है अतः अपीलांट उक्त अवाप्तशुदा भूमि की एवज में 5 बीघा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अपीलांट का आवेदन पत्र आज दिनांक तक जैरकार है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो काबिलें निरस्त होने से निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2012 पेज 734 व आरएलडब्ल्यू 1997 पेज 1586 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

## अपील संख्या 115/2014

5. **(क)** विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने **अपील संख्या 115/2014** में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को कृषि भूमि वाके रोही 423/3 तादादी 27 बीघा व खसरा नम्बर 339/1 तादादी 5 बीघा कुल तादादी 32 बीघा का टी.सी. आवंटन हुआ था तथा आवंटन के समय से ही अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा अथक परिश्रम कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया है। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि नियमित रूप से उपनिवेशन विभाग में नवीनीकृत होती रही है। तत्पश्चात् उक्त रकबा राजस्व क्षेत्र में आ जाने के बाद नवीनीकरण बन्द कर दिया गया किन्तु अपीलांट आज दिनांक को भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी अपने वाद में स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 423/3 हाल खसरा नम्बर 227 की भूमि का आवंटन हो चुका है।

**(ख)** उन्होंने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नत्था द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20—01—1975 को सौदागरसिंह व सुन्दरराम को विक्रय करते हुए अपने हक व हकूकों का स्थानान्तरण किया जा चुका है। उक्त वादगत् भूमि के बाबत् क्रेतागण द्वारा एक धोषणा का दावा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो उनवान सौदागरराम बनाम नत्थाराम वगैरा था जिसे अदालत मातहत द्वारा दिनांक 17—03—2006 को खारिज फरमा दिया गया था। उक्त निर्णय में रेस्पोडेन्ट नत्था भी पक्षकार था, जिसने

उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष पूर्व में दावा प्रस्तुत किया जा चुका था इसलिए रेस्पोडेन्ट उसी वादगत् भूमि के बाबत् अलग से दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए रेस्पोडेन्ट का वाद धारा 11 सीपीसी अर्थात रेस्ज्यूडिकेसा से प्रभावित होने के कारण काबिल निरस्त था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त तथ्य को अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत न करते हुए बाला—बाला रूप से आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। वादगत् भूमि गांव खारा की समस्त कृषि भूमि 1959 के नोटिफिकेशन से उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किये जाने पर जिसमें वादगत् भूमि भी सम्मिलित है। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के पश्चात् विवादग्रस्त भूमि को आराजीराज दर्ज रिकार्ड कर दिया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजीराज दर्ज रिकार्ड के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना हक व हकूक को छोड़ दिया गया है। इसी कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि का विक्रय सौदागरराम व सुन्दरराम को किया गया था। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी भी प्रकार से विक्रित कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है।

(ग) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट भंवर सिंह जो कि वादगत् भूमि का टीसी आवंटी है, को पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही वादगत् भूमि के काउन्टर पार्ट किसनी बेवा किसनाराम को पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अदालत मातहत के समक्ष पुनः दावा प्रस्तुत करते हुए आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट का दावा रेस्ज्यूडिकेसा से प्रभावित था। अदालत मातहत द्वारा भी इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसा आदेश नलिटि आदेश की परिभाषा में आता है। अतः चूंकि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में प्रस्तुत वाद जो कि दिनांक 17—03—2006 को निर्णित किया जा चुका था उक्त तथ्य को छिपाते हुए ऐसा दावा जोकि पूर्व में निर्णित हो चुका था, पर पुनः नये दावे के तहत

सुनवाई करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। ऐसे शून्य आदेश की अपील खारिज योग्य होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

## अपील संख्या 89/2014

6. **(i)** विद्वान राजकीय अभिभाषक ने **अपील संख्या 89/2014** में बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम खारा के खसरा नम्बर 227 तादादी 0.45 हेक्टर व खसरा नम्बर 207 तादादी 0.80 हेक्टर कुल 1.25 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के खातेदारी हकूकों के बाबत् रेस्पोडेन्ट नत्था द्वारा एक वाद अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की धोषणा बाबत दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद में निर्णय व डिक्री दिनांक 12—06—2014 पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट नत्था को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत एवं मिसल रिकार्ड के विपरीत होने से काबिले खारिज आदेश है।

**(ii)** राजकीय अभिभाषक ने आगे कथन किया कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादगत् भूमि आज दिनाक को भी आराजीराज चली आ रही है। अदालत मातहत द्वारा कब्जे के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि धारा 188 के तहत किसी भी प्रकरण में कब्जे का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। वादगत् भूमि वर्ष 1976 में सहायक आयुक्त उपनिवेशन ने जरिये फर्द इख्तलाब खारिज कर दी थी। इस खारिजी आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई चाराजोई नहीं की गई है। इसलिए सहायक आयुक्त उपनिवेशन का आदेश फाईनल हो चुका था। अतः उक्त आदेश की मौजूदगी में रेस्पोडेन्ट का दावा कतई स्वीकार योग्य नहीं था।

**(iii)** अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के

सिद्वान्तों की अवहेलना है। यहॉ यह कहना भी उचित होगा कि अदालत मातहत द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों की सही विवेचना नहीं करते हुए सीधे ही निर्णय पारित कर दिया गया जो उपर्युक्त साक्ष्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः स्टेट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

7. **(क)** विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने **अपील संख्या 75/2014 पन्नालाल बनाम नत्था** में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट पन्नालाल द्वारा प्रस्तुत अपील कानून के मान्य सिद्वान्तों के विपरीत बोगस व फेबुलस अपील है। वादगत् भूमि से अपीलांट पन्नालाल का कोई संबंध नहीं है। अपीलांट पन्नालाल को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि वह अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से किस प्रकार से व्यथित है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट का क्या हित निहित है? अपीलांट द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट के दावे में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा दिनांक 30—05—2014 को अपीलांट पन्नालाल के हित निहित नहीं होने के आधार पर व दावें में आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इसप्रकार अपीलांट पन्नालाल द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

**(ख)** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मीमों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसकी कौनसी भूमि नहर में अवाप्त हुई है। उक्त भूमि किसके नाम से थी। कानूनन नहर में अवाप्त भूमि के बदले राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलांट द्वारा इन तमाम तथ्यों को छिपाते हुए अदालत हाजा में अपील के साथ 96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। अपीलांट वादगत् भूमि खसरा नम्बर 208 में तादादी 0.80 हेक्टर व खसरा नम्बर 227 में 0.45 हेक्टर भूमि से किस प्रकार व्यथित है तथा वादगत् भूमि में उसका क्या हित निहित है स्पष्ट नहीं कर पाया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा को गुमराह करने की

कोशिश की जा रही है। अपीलांट द्वारा न्यायालय की कीमती समय खराब किया गया है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मय कोस्ट खारिज फरमाई जावे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने **अपील संख्या 115/2014 भंवर सिंह बनाम नत्था** में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट का वादगत् भूमि से कोई संबंध नहीं है। अपीलांट भंवरसिंह को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि वह वादगत् भूमि से किस प्रकार प्रभावित है। वादगत् भूमि अपीलांट भंवरसिंह को कभी भी आवंटित नहीं की गई है ना ही वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त रहा है। यदि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटितशुदा भूमि होती व अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त होता तो अपीलांट को वादगत् भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके होते। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट भंवरसिंह का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अपीलांट वादगत् भूमि से किस प्रकार व्यथित है साबित नहीं कर पाया है। अपीलांट वादगत् भूमि का टीसी आवंटन बताते हुए पट्टे की नकल प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त पट्टे की ना तो प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है नाही अपीलांट द्वारा तथाकथित पट्टे के माध्यम से यह साबित कर पाया है कि उसे उक्त वादगत् भूमि टीसी में आवंटित थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन पट्टा टीसी आवंटन व एक साला आवंटन था जिसका नवीनीकरण नहीं किया गया है अतः अपीलांट का तथाकथित टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो गया है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट स्वयं अपने कथन में यह मानते है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा सौदागरराम व सुन्दरराम को वर्ष 1975 में विक्रय कर दी गई थी तो ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त विक्रित भूमि में अपीलांट क्या मांगते है। अपीलांट दो नावों पर सवार होकर अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित हुए है। अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से वादगत् भूमि अर्थात 5 बीघा भूमि की मांग कर रहे है। दूसरी तरफ अपीलांट का कथन है कि उसे

कृषि भूमि वाके रोही 423/3 तादादी 27 बीघा व खसरा नम्बर 339/1 तादादी 5 बीघा कुल तादादी 32 बीघा का टी.सी. आवंटन हुआ था तो ऐसी स्थिति में शेष भूमि कहॉ गई इस बाबत् अपीलांट कोई तर्क प्रस्तत नहीं कर पाये है।

जहॉ तक अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट का वाद रेसज्यडिकेसा से बाधित था स्वीकार योग्य नहीं है। वादगत् भूमि सवंत् 2004 से ही वादी/रेस्पोडेन्ट के पिता नारायण एवं उनके निधन के पश्चात् वादी/रेस्पोडेन्ट एवं बिशना के कब्जे काश्त में रही है। उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होने के कारण वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपने अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट पन्नालाल व भंवरसिंह दोनों ने एक अन्य तथाकथित निर्णय एवं डिक्री उनवान सौदागरराम बनाम नत्था का हवाला दिया गया है। जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट का कथन है कि प्रथम तो उक्त निर्णय व डिक्री अदालत हाजा के समक्ष विवादित व विचाराधीन नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सौदागरराम द्वारा प्रस्तुत दावे को दिनांक 17–03–2006 को वादीगण का वाद बिना आधार, बिना अधिकार के पेश होने के कारण खारिज कर दिया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री की आज दिनांक तक कोई अपील, निगरानी आदि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश फाईनल हो चुका है। उक्त निर्णय व डिक्री से रेस्पोडेन्ट के कानूनी अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ना ही रेस्पोडेन्ट का दावा रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित अथवा बाधित है। अदालत मातहत द्वारा उक्त दावें में नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई जिसमें कृषि भूमि को रजिस्टर्ड बैयनामा से क्रम कर कब्जा प्राप्त करन भूमि विवादित पर काबिज काश्त होने से खातेदार काश्तकार है? राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टी को हटाकर दुरूस्ती करवाने बाबत्? कथित बैयनामा के आधार पर हक व हकूक हासिल होने बाबत्? कब्जे के अभाव व दादरसी आदि तनकीयात कायम की गई थी। चूंकि वादगत् भूमि पर वर्ष 1975 में रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार हासिल नहीं थे तो सौदागरराम को धारा 88 के तहत वाद लाने का अधिकार ही नहीं था। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–03–2006 में रेस्पोडेन्ट नत्था के बारे में कोई विवेचन अंकित

नहीं किया है। चूंकि पूर्व में प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बनाई गई तनकीयात प्रस्तुत वाद से भिन्न है अतः ऐसी स्थिति में धारा 11 रेसज्यूडिकेसा से प्रकरण बाधित नहीं है। क्योंकि दोनों की प्रकरणों में दादरसी व इश्यू समान नहीं है। अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि अपीलांट का दावा मुख्यतः सरकार के खिलाफ था। रेसज्यूडिकेसा का सिद्वान्त उसी परिस्थिति में लागू होता है जहॉ समान पक्षकार हो तथा उनके द्वारा समान रिलिफ चाही गई हो। चूंकि अपीलांट भंवरसिंह अपने कथनों व दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाये है कि वादगत् भूमि से उनका क्या संबंध है तथा उक्त भूमि उन्हें टीसी में आवंटित हुई थी, तो उसका नवीनीकरण किया गया है अथवा नहीं? अतः अपीलांट भवंरसिंह का वादगत् भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने **अपील संख्या 08/2014 सरकार बनाम नत्था** में बहस करते हुए कथन किया कि स्टेट द्वारा प्रस्तुत अपील कानून के मान्य सिद्वान्तों के विपरीत पेश की गई है। वादी/रेस्पोडेन्ट नत्थ उर्फ नत्थाराम की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम खारा के पुराना खसरा नम्बर 423 में 62 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट के पिता नारायण वल्द भोमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। स्व. नारायण वल्द भोमा के निधन के पश्चात् उक्त भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट नत्था व उसके भाई बिशना के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई जो कि राजस्व रिकार्ड से साबित है। चूंकि वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व से ही वादी/रेस्पोडेन्ट के पिता नारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के लागू होने के दिन से स्वतः खातेदारी अधिकार(बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ) प्राप्त हो गये थे।

राजस्व अमला की लापरवाही से अथवा जानबूझकर राजस्व रिकार्ड सवंत् 2018 में वादी/रेस्पोडेन्ट एवं बिशना को बन्दोबस्ती काश्तकार के रूप में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार वादगत् भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट के भाई बिशना का

1/2 हक व हिस्सा था। बिशना के निधन के पश्चात् बिशनाराम का 1/2 हिस्सा उसकी धर्मपत्नी किसनी के नाम दर्ज हुआ। उक्त 62 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि सड़क हेतु अवाप्त करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम कर कर दी गई। शेष 54 बीघा भूमि में वादी/रेस्पोडेन्ट एवं किसनी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रही तथा किसनी को उक्त भूमि की वर्ष 1993 में खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। शेष भूमि बाबत् वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त दावें में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो विधि सम्मत आदेश है। अतः स्टेट की अपील खारिज करते हुए आदेश जैर अपील यथावत कायत रखा जावे।

10. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। पत्रावली के अध्ययन पर पाया गया कि उपरोक्त तीनों पत्रावलियॉ दिनांक 19–11–2015 से निरन्तर दिनांक 10–01–2018 तक बहस हेतु निर्धारित चल रही थी। इस दौरान बहस हेतु 40 पेशियॉ निर्धारित की जा चुकी है।

11. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स व स्टेट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2014 के विरूद्व जिसके तहत वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि वाके ग्राम खारा के खेत खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 208 तादादी 0.08 हेक्टर व खसरा नम्बर 227 तादादी 0.45 हेक्टर कुल तादादी 1.25 हेक्टर भूमि का कब्जे व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खातेदारी काश्तकारी आराजी मानते हुए खातेदार अधिकार प्रदान किये गये है। अदालत मातहत द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट के वाद में नियमानुसार तकनीयात् कामय की गई। तनकी संख्या 1 जिसको साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट का था। वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् आराजी के संबंध में **संवत् 2005, संवत् 2010 से 2014** व जमाबन्दी संवत् **2018 व संवत् 2052** तक की खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल मिसल भू–प्रबन्ध विभाग की

प्रतियॉ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिससे साबित है कि वादी/रेस्पोडेन्ट **संवत् 2005 से बतौर कृषक काबिज होकर काश्त चला आ रहा है।** अतः वादी/रेस्पोडेन्ट **बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ** खातेदार हो गया है।

**(3)** तनकी संख्या 1 के विवेचन में अदालत मातहत द्वारा पुष्टि की गई है कि संवत् 2012 से पूर्व से ही वादी के पिता नारायण वल्द भोमा का कब्जा काश्त होने एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी/रेस्पोडेन्ट व उसके भाई बिशनाराम के कब्जे काश्त में होने से वादगत् भूमि पर खातेदारी अधिकार सृजित हो चुके है तथा उसे समाप्त करने का अधिकार उपनिवेशन विभाग को नहीं था। ना ही वादी/रेस्पोडेन्ट की भूमि को सिवायचक मानकर किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती थी। अतः विवादित भूमि का **संवत् 2005** से लगातार वाद दायरी तक काबिज काश्ज चला आने के कारण वादी/रेस्पोडेन्ट 1955 से पूर्व का कृषक दर्ज होना साबित है। वादगत् भूमि के संबंध में वंशावली व वादगत् भूमि की स्थिति निम्न प्रकार रही हैः–

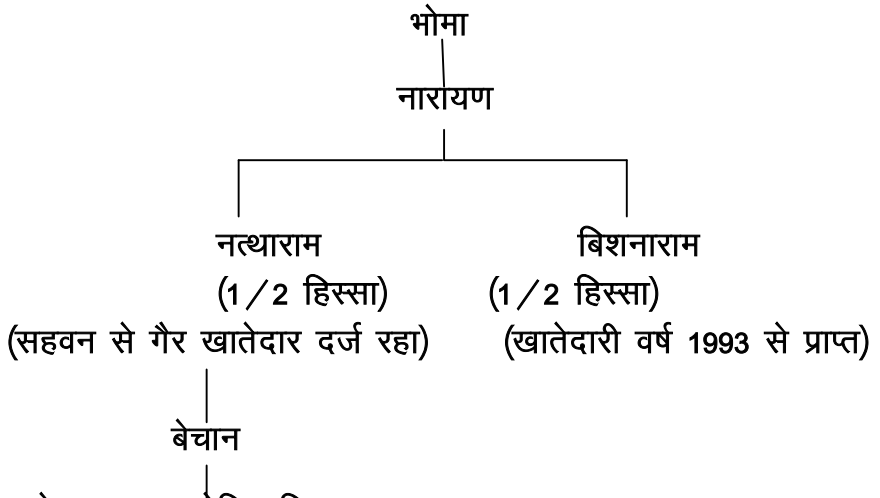


ए. **बेचान शून्य धोषित किया गया**
बी. **गैर खातेदारी समाप्त की गई**
सी. **22 बीघा MFFR ousty को आवंटन**
डी. **शेष 5 बीघा भूमि वर्तमान में आराजीराज**

इसी प्रकार वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तनकी के भार में जमाबन्दी पैमाईश मौजा खारा सवंत् 2005 प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी

संवत 2010 से 2014 प्रदर्श 03, जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 प्रदर्श 4, जमाबन्दी संवत् 2018 प्रदर्श 5, खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श 6, खसरा गिरदावरी संवत् 2018 प्रदर्श 7, खसरा गिरदावरी संवत् 2019 प्रदर्श 8, खसरा गिरदावरी सवंत् 2015 से 2028 प्रदर्श 9, खसरा गिरदावरी सवंत् 2029 से 2032 प्रदर्श 10, खसरा गिरदावरी सवंत् 2041 से 2044 प्रदर्श 11, खसरा गिरदावरी संवत् 2045 से 2048 प्रदर्श 12, खसरा गिरदावारी संवत् 2049 से 2052 प्रदर्श 13, जमाबन्दी संवत व मिसल बन्दोबस्त संवत् 2059 से 2078 प्रदर्श 14 व मिलान क्षेत्रफल आदि बतौर दस्तावोजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के काश्तकार के रूप में दर्ज है। इसके विपरीत राज्य की और से उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 1 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित करने में कोई कानूनी चूक नहीं की है।

(4) इसी प्रकार तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर था। जिसके अनुसार चिर निषेधाज्ञा प्रतिवादी के खिलाफ पाने का अनुतोष दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में चूंकि तनकी संख्या 1 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को वादगत् भूमि से बेदखल ना करते हुए तनकी वादी के हक में तय करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत साबित है। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी का कथन कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है तथा वादी टीनेन्ट नहीं है। जबकि उक्त तथ्य तनकी संख्या 1 में परिप्रेक्ष्य में व दस्तावेजी साक्ष्य से वादी के पक्ष में साबित है। अतः अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी खिलाफ प्रतिवादी बहक वादी निर्णित करने में कोई कानूनी भूल नहीं किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर साबित है।

(5) यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि वादगत् भूमि ग्राम खारा के पुराना खसरा नम्बर 423 में तादादी 62 बीघा 1 बिस्वा वादी/रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता नारायण वल्द भोमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी/रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के by operation of law खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तमाम

दस्तावेजी साक्ष्य से भी वादी/रेस्पोडेन्ट उक्त 5 बीघा भूमि के दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाना साबित है।

(6) इस सबंध में यहॉ यह उल्लेखनीय है कि भूमि जब उपनिवेशन विभाग को अधिसूचना द्वारा अन्तरित की जाती है तो उस समय वह एल.आर.एक्ट,1956 की धारा 106 व 107 के तहत भू–अभिलेख संक्रियाओं व सर्वे व पुर्नसर्वे की प्रक्रिया से गुजरती है। अर्थात उपनिवेशन विभाग तब बन्दोबस्ती विभाग की तरह कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह लिया जाना चाहिये कि भूमि में कब्जाधारी व काश्त करने वाले काश्तकार जो तत्समय किसी भी रूप में काश्तकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है उसे खातेदारी इस धारा के तहत प्रदान करने में उदारता न्याय साम्या व सद्विवेक के सिद्वान्तों के अनुसार बरतनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति तत्समय यदि इस रूप में अधिकार अभिलेखों में व वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित हो, एवं भूमि के कब्जे में हो तो खातेदारी प्राप्त कर सकेगा।

(7) ऐसे में वादी का राजस्व रिकार्ड से नाम हटाकर भूमि को आराजीराज दर्ज करना अयुक्तियुक्त कार्यवाही मानी जानी चाहिए। वादी संवत् 2004 से पूर्व का भूमि पर काबिज काश्तकार के रूप में भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। अतः उसके नाम को राजस्व रिकार्ड से हटाने के बजाय उसे गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। एवं भूमि की चकबन्दी होने पर उपनिवेशन नियमों के तहत कमाण्ड या अनकमाण्ड यथास्थिति कृषि शुल्क व लगान का निर्धारण कर धारा 15, 15 एएए व धारा 19 के अनुसार खातेदारी प्रदान करना विधि की मंशा परिलक्षित होती है।

(8) चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सवंत् 2004 से जैसा कि अधिनस्थ न्यायालय की विवेचना व राजस्व रिकार्ड से साबित है। वादी रेस्पोडेन्ट की भूमि उपनिवेशन विभाग से स्थानान्तरित होने पर उसे गैर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु उपनिवेशन में ऐसा ना करके अराजीराज दर्ज कर दिया गया। जिससे उसके हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ना



स्वाभाविक है। इस प्रकार कालांतर में भूमि जब पुनः राजस्व विभाग में स्थानान्तरित हुई तो शेष भूमि पुनः आराजीराज दर्ज हो गई। जबकि इस

**स्थिति में राजस्व रिकार्ड की पुराने अर्थात उपनिवेशन के स्थानान्तरण से पूर्व के अंकन को दोहराते हुए बहाल करना चाहिए था।**

यदि ऐसा होता तो रेस्पोडेन्ट के नाम उक्त भूमि का अंकन होता, किन्तु विभागीय अवधानता के कारण ऐसा होने से रेस्पोडेन्ट को अपने हकों से वंचित होना पड़ा जबकि वह वादगत् भूमि का संवत् 2004 से पूर्व का काबिज काश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार के काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा की मंशा से विशेष प्रावधान उपबन्धित करता है। **वादी संवत् 2012 अर्थात सन् 1955 से पूर्व का भूमि पर काबिज काश्तकार है।**

(9) जहॉ तक अपीलांट् पन्नालाल व भवंरसिंह का यह कथन कि वादगत् भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 20–01–1975 को सौदागरराम व सुन्दरराम को विक्रय कर दी गई थी तथा उक्त विक्रय के उपरान्त वादी/रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि पर अपना हक व हकूक त्याग कर चुके है व प्रकरण धारा 11 सीपीसी अर्थात रेसज्यूडिकेसा से बाधित होने के कारण वादी/रेस्पोडेन्ट को वाद लाने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में धारा 11 सीपीसी में परिभाषित किया गया है कि धारा 11 के अनुसारः

> ''**कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद अथवा वाद–बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसके वाद–पत्र में यह विषय, उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा उन पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन व अथवा उनमें से कोई उसी हक के अन्तर्गत मुकदमेबाजी करने का दावा करता हैए एवं ऐसे न्यायालय में जो कि ऐसे परवर्ती वाद अथवा ऐसे वाद जिसमें वाद बिन्दु वाद में उठाया गया है, के विचारण में सक्षम है, किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष एवं सारवान् रूप में रहा हो और सुना जा चुका है तथा अन्तिम रूप से ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुका है।**''



–इस प्रकार न्याय का सिद्वान्त (किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चत की गई कोई बात) से या उन्हीं पक्षकारों के बीच पश्चात्वर्ती वादों में निर्णय के जहॉ तक कि विनिश्चत बातों का सम्बन्ध है, निश्चय होने के नियम से संव्यवहार करता है।

–यह एक सुविधा का नियम है कि पूर्ण न्याय (absolute justice) का। यह एक प्रक्रिया का नियम (rule of procedure) है।

–न्याय के सिद्वान्त का मुख्य उद्वेश्य व्यर्थ के वादों को रोकना है। दूसरे शब्दों में यह वादों की बहुलता (Multiplicity of suits) को प्रतिबन्धित करता है। यह उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी अनुतोष के लिए कोई निष्पादन योग्य निर्णय हो जाने के बाद, उनके बीच किसी नये वाद को रोकता है।

–यह वर्जन केवल निर्णय के संबंध में ही नहीं है अपितु उसका विस्तार उन सब तथ्यों तक है जो कि विनिश्चय के लिए आवश्यक तथ्य के रूप में उनमें अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात कोई निर्णय उन सब निषकषों के संबंध में वर्जन के रूप में प्रवर्तनशील है जोकि निर्णय को बनाये रखने के लिए आवश्यक है।

–इसप्रकार यह स्वीकार किया गये तथ्यों के आधार पर कोई आज्ञप्ति पारित कर दी जाती है तो न्याय का विस्तार केवल मामलें में किये गये वास्तविक विनिश्चय तक ही नहीं होता अपितु दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार किये गये तथा आज्ञप्ति की नींव बनाने वाले सामान्य तथ्यों तक ही होता है।

इसके अन्तर्गत केवल वाद का निर्णय ही अन्तिम नहीं होता अपितु उस निर्णय के आधार स्वरूप विनिर्देश एवं मौलिक वाद बिन्दु का निर्णय भी अन्तिम होता है। यह धारा सम्पति के किसी अधिकार अथवा स्वत्व का सजृन नहीं करती अपितु व्यक्तिगत वर्जन के रूप में प्रवर्तनीय होती है। यह पक्षकारों को यह सिद्व करने से रोकती है कि निर्णय सही नहीं है।

इस प्रकार प्राङ्न्याय के सिद्वान्त का महत्वपूर्ण उद्वेश्य हैः–

(1) वाद की बहुलता(miltiplicity of suits) अथवा व्यर्थ के वादों एवं मुकदमेंबाजी को रोकना



(2) किसी व्यक्ति पर एक ही वाद–कारण(Cause of action) के लिए दोबारा वाद लाने से प्रस्तावित करना एवं

(3) न्यायालय के विनिश्चयों को सही एवं अन्तिम रूप प्रदान करना

—यदि प्राङ्न्याय का यह नियम नहीं होता तो व्यक्ति के अधिकार अनन्त भ्रान्तियों में पड़ जाते और विधि की आड़ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ होता और विधि के न्यायालयों से निर्णय बार—बार निष्प्रभावी किये गये होते।

**प्राङ्न्याय के आवश्यक तत्वः**

जैसा कि उक्त प्रकार से उल्लेख है कि संहिता की धारा 11 में उल्लेखित परिभाषा के अनुसार प्राङ्न्याय का सिद्वान्त किसी न्यायालय को ऐसे वाद के विवरण में प्रतिवारित करता है जिसमें वादपद उन्हीं पक्षकारों के बीच एवं उसीके हक के अन्तर्गत किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः वादपदग्रस्त रहा है एवं ऐसे वादपदग्रस्त विषय को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना जाकर निर्णित कर दिया है।

इस प्रकार प्राङ्न्याय की उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राङ्न्याय के लिए निम्नलिखित शर्तो को पूरा करना आवश्यक है और ये ही शर्ते प्राङ्न्याय के तत्व है—

(1) परवर्ती वाद या वादपद में प्रत्यक्षतः और सारतः वादपदग्रस्त विषय, वही विषय होना चाहिए जो या तो वास्तविक रूप में या अन्वयाश्रित रूप से (actually or constructively) पूर्ववर्ती वाद में वादग्रस्त था।

(2) पूर्ववर्ती वाद का उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच, जिनके अधीन व या उनमें से कोई दावा करते है, होना आवश्यक है।

(3) यथापूर्वोक्त पक्षकारों का पूर्ववर्ती वाद में उसी हक के अधीन मुकदमेंबाजी करना आवश्यक है।



(4) पूर्ववर्ती वाद को विनिश्चित करने वाले न्यायालय का ऐसा न्यायालय होना आवश्यक है जोकि पश्चातवर्ती वाद का

या उस वाद का, जिसमें ऐसा वादपत्र में उठाया जाये, विचारण करने के लिए सक्षम हो।

**(10)** चूंकि प्रस्तुत मामलें में वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा **संवत् 2004** से उसके पिता नारायण वल्द भोमा व उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादी/रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त रहने के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष दावा बाबत् घोषणा का प्रस्तुत किया गया था तथा अदालत मातहत द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया गया है। अपीलांट्स का कथन कि वादगत् भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 1975 में जरिये विक्रयपत्र सौदागरराम व सुन्दरराम को विक्रय कर दिये जाने के कारण वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद रेसज्यूडिकेसा से बाधित है स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि पूर्ववर्ती वाद में समान पक्षकार नहीं होने व वादपत्र में अदालत मातहत द्वारा बनाये गई तनकीयात् भिन्न प्रकृति की है।

**(11)** अदालत मातहत द्वारा पूर्व वाद में निर्णय दिनांक 17–03–2006 के माध्यम से विक्रयपत्र को एबईनिशियोवाईड व शून्य घोषित करते हुए उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 ए का उल्लंधन होने पर उपायुक्त उपनिवेशन के यहॉ चली कार्यवाही में निर्णय दिनांक 15–12–1976 को उक्त भूमि धारा 13 का उल्लंधन मानते हुए भूमि आराजीराज दर्ज करने के आदेश देने का निर्णय लिया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अवैद्य धोषित करने का क्षेत्राधिकार अदालत मातहत को हासिल नहीं है वरन् इस संबंध में हमारा अभिमत हैकि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत अपने खातेदारी अधिकारों का कभी भी त्याग नहीं किया गया है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 अभिधृतियों का निर्वापन में अभिलिखित है किः–**

**(1)** किसी अभिधारी का, अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग में का हित, यथास्थिति, तब निर्वापित हो जायेगाः–



**(ए)** जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विरासत का हकदार वारिस छोड़ बिना मर जावे,

**(बी)** जब वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसका अत्यर्पण या परित्याग कर दे,

**(सी)** जब उसकी भूमि(भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन) अर्जित कर ली गई हो,

**(डी)** जब उसे कब्जे वंचित कर दिया गया हो और उसका कब्जा फिर से प्राप्त करने का अधिकार परिसीमा से वर्जि हो जाये,

**(ई)** जब वह इस अधिनियम के उपबंधों क अनुसार उसे बेदखल कर दिया जावे,

**(एफ)** जब वह उसमें भू–धारक के सभी अधिकारों को अर्जित कर ले अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त कर ले अथवा भू–धारक उन्हें विरासत में पाये या अन्यथ अर्जित करें,

**(जी)** जब यह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसका विक्रय कर दे या उसे दान में दे दे या दान कर दें,

**(एच)** जब वह विधिमान्य पारपत्र अभिप्राप्त किये बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवास के लिए भारत से विदेश चला जाये,

**(आई)** यदि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956(1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाये या भूमि को पुनः कब्जे में लेने का आदेश दिया जावे,

**(जे)** चूंकि पूर्व वाद में वादी अलोटी काश्तकार नहीं था वरन् बन्दोबस्ती व संवत् 2012 से पूर्व का काबिज काश्तकार था। अतः उसकी खातेदारी उक्त विनिर्णय में लिये गये आधारों पर समाप्त नहीं की जा सकती थी।



–हालांकि उपनिवेशन संक्रियाओं के दौरान उसके द्वारा किया गया विक्रय शून्य प्रभावी था–किन्तु केवल मात्र शून्य कार्यवाही का प्रभाव खातेदारी समाप्त करने के

कठोर व अधिकार बाह्य निर्णय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

–यह भी कि पूर्व वाद में राज्य पक्षकार नहीं था। ऐसी दशा में उसकी खातेदारी समाप्त नहीं की जानी चाहिए थी तथापि विक्रय शून्य था तो भी उसे पैतृक सम्पति की खातेदारी अधिकार से वंचित करने का निर्णय कठोर व अवैध कार्यवाही थी और अनावश्यक रूप से सद्भावी काश्तकार को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादी/रेस्पाडेन्ट की कब्जेशुदा भूमि को आराजीराज दर्ज किया जाना युक्तियुक्त नहीं है। सरकार बन्दोबस्ती खातेदार की भूमि को सिवाय अन्तर्गत धारा 63 के तहत दिये गये आधारों पर वाद साबित किये बिना इसप्रकार अधिग्रहण नहीं कर सकती।

**प्रस्तुत मामलें में अपीलार्थी को खातेदारी अभिधारी दर्ज करना राज्य का कार्य था–क्योंकि भूमि पैतृक थी एवं पूर्व में उसके भाई की पत्नी के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रदान कर दी जा चुकी थी। राज्य कर्मचारियों की अवधानता से अपीलार्थी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज ना करने का खामियाजा उसे सद्भावना पूर्ण बेचान की दशा में खातेदारी समाप्त करने के रूप में भुगतना पड़े यह विधि की मंशा नहीं थी।**

**स्थिति भिन्न होती यदि वह भी पुनः उपनिवेशन संक्रियाओं के समाप्त होने पर विधिवत खातेदार दर्ज कर दिया जाता। अतः ऐसे मामलों में विधि का कठोर अर्थावन्यन नहीं किया जाना चाहिए। जबकि प्रार्थी का हक पैतृक व अधिनियम के लागू होने से पूर्व का हो एवं उस पर राज्य का किसी प्रकार बकाया या भू–राजस्व की मांग कायम ना हो या राजहित का नुकसान ना हो।**



**(12)** ऐसी स्थिति में वादी/रेस्पोडेन्ट के पास दो उपचार थेः–

1. रेसज्यूडिकेसा को प्ली plea defend करते हुए अपील करता, जो नहीं की गई

2. Writ करता – वह की किन्तु विड्रा कर ली।

इन सभी तथ्यों से यह सिद्व नहीं होता कि उसने अपने अधिकारों का त्याग किया हो या अपने अधिकार त्याग दिये या उसकी खातेदारी को समाप्त कर भूमि को आराजीराज दर्ज किया जावे।

(13) (ए) अदालत मातहत द्वारा गलत रूप से वादी/रेस्पोडेन्ट की भूमि को आराजीराज दर्ज किया गया है। वाद में तनकी के हिसाब से अदालत मातहत कोः–

1. रजिस्ट्री शून्य घोषित करनी थी।

2. अनियमित रूप से अपलार्थी की पैतृक बन्दोबस्ती खातेदारी अधिकार संबंधी स्थिति की जॉच कर खातेदारी प्रदान करनी चाहिए थी जैसा कि उसके भाई की पत्नी किसनी को प्रदान की गई थी।

3. पूर्व वाद में दावाकृत अनुतोष व इश्यू भिन्न थे। ऐसी स्थिति में **त्रूटिपूर्ण विनिश्चयों** पर रेसज्यूडिकेसा लागू नहीं होता है।
**इस संबंध मं ए.आई.आर 1980 एस.सी पेज 120 के न्यायिक सिद्वान्त प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है।**

4. लिहाजा अपीलार्थी के समक्ष अधिनस्थ समान न्यायालय में दावा करने के सिवाय कोई चारा नहीं था।

5. वादी/रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आई 27 बीघा भूमि जो कि सिवाय चक घोषित होने पर एम.एफ.एफ.आर.के तहत 22



बीघा भूमि भूराराम को आवंटित कर दी गई व कब्जा दे दिया गया। ऐसी स्थिति में उसे आवंटित 22 बीघा भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। ना ही अदालत मातहत में राज्य द्वारा यह मांग की गई। यद्यपि अपीलार्थी का हक समाप्त नहीं नहीं हुआ किन्तु विबन्ध से बाधित है

अतः यह न्यायालय इस बाबत् कोई उपचार प्रदान नहीं कर सकता।

6. वर्तमान में शेष 5 बीघा भूमि है जो सिवाय चक दर्ज कर दी गई है उसी पर वादी/रेस्पोडेन्ट का दावा था व अपील में भी शेष 5 बीघा भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा की चाराजोई की गई है।

(बी) 1. अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व शेष बची 5 बीघा भूमि का अपीलार्थी के हक में खातेदारी धोषित करने में कोई गलती नहीं की है।

2. क्योंकि उसी भूमि से संबंधित पैतृक सम्पति में उसके भाई की पत्नी किसनी को उसके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अर्थात 27 बीघा भूमि की खातेदारी वर्ष 1993 में प्रदान की जा चुकी है। इसलिए न्याय, साम्या व सद्विवेक के सिद्वान्तानुसार उसका हक कायम है।

3. वादगत् भूमि अपीलार्थी की पैतृक बन्दोबस्ती खातेदारी थी जिसका संवत् 2004 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार था। अपीलार्थी वादगत् भूमि का अलोटी खातेदार नहीं था। इसलिए उसकी खातेदारी धारा 13 (ए) के तहत समाप्त नहीं की जा सकती।

4. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववाद में उसकी खातेदारी समाप्त करने का निर्णय अयुक्तियुक्त



था, हालांकि गैर खातेदार बेचान नहीं कर सकता फिर भी उसके द्वारा बेचान किया गया है तो उक्त विक्रय एबईनिशियोवाईड होने से निरस्त योग्य था ना कि उसकी खातेदारी समाप्त की जानी चाहिए थी।

(सी) 1. अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को सुनकर न्याय साम्या सद्विवेक के सिद्वान्तानुसार अपीलार्थी को शेष 5 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए निर्णित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रूटि नहीं पाते है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में उक्त विधि के प्रवर्तन के सिवाय अन्यथाः –उपनिवेशन नियमों के तहत प्राथमिकता, भूमिहीन श्रेणी, कब्जाधारी कृषक श्रेणी में सामान्य आंवटन या वर्षानुवर्ष पट्टा का पुख्ता आवंटन द्वारा भी बनती है। अतः चूंकि वर्ष 2004 से पूर्व से उक्त भूमि का काबिज काश्तकार होने से भूमि का अधिकारी होने से निर्णय में कोई त्रूटि नहीं पाते है।

(14) उपरोक्त विवेचनानुसार तीनों अपीलों का संयुक्त आदेश बिन्दुवार निम्न प्रकार से आदेशित किया जाता हैः–

**अपील संख्या 74/2014 पन्नालाल बनाम नत्था**

(15) जहॉ तक अपीलांट पन्नालाल द्वारा प्रस्तुत अपील का प्रश्न है अपीलांट का कथन है कि 5 बीघा भूमि वैद्य मघाराम वितरिका में अवाप्त किये जाने से अपीलांट उक्त वादगत् भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है।

1. इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलांट के वादगत् भूमि बाबत् कोई हक व हकूक पैदा होते हो तथा वादगत् भूमि में अपीलांट का क्या हक निहित है? अपीलांट अपने कथनों व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहा है।



2. अपीलांट का कथन कि वह नहर वितरिका में अवाप्त की गई भूमि की एवज में अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। हमारा अभिमत है वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट की संवत् 2004 से पूर्व का खातेदारी काश्तकार मानते हुए अदालत मातहत ने खातेदारी अधिकार प्रदान किये है व अपीलांट अपनी अवाप्तशुदा भूमि की

एवज में अन्यत्र भूमि प्राप्त करने के लिए आज भी स्वतन्त्र है व अन्यत्र भूमि प्राप्त करने की चाराजोई कर सकता हैं। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अदालत मातहत द्वारा खारिज किया जा चुका है।

3. चूंकि वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट अपनी दलीलों व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने हक व हकूको को साबित करने में असफल रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस प्राप्त नहीं होने से अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के आधार पर खारिज की जाती है।

**अपील संख्या 114/2014 भंवरसिंह बनाम नत्था**

(16) इसी प्रकार अपीलांट भंवरसिंह का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि उसे टीसी आवंटित की गई थी।

1. अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी में आवंटित की गई थी।
अपीलांट द्वारा मात्र टीसी पट्टे की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को उक्त आवंटन एक साला आवंटन था तथा उक्त आवंटन के नवीनीकरण के संबंध में व वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त के बाबत् अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है।

2. अपीलांट द्वारा मात्र एक टीसी आवंटन की छाया प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त आवंटन एक साला आवंटन है, के आधार पर अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपीलांट को मात्र एक साला टीसी आवंटन के आधार पर अपील की लोकस व वादगत् भूमि पर कोई हक व



हकूक प्राप्त नहीं होते है। अतः अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

**अपील संख्या 80/2014 सरकार बनाम नत्था**

**(17)** यह कि बिन्दु संख्या 1 से 13 में वर्णित विवेचनानुसार व वादी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट को सवंत् 2004 से पूर्व का काश्तकार मानते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान करने में अदालत मातहत द्वारा कोई चूक नहीं की गई है। अतः स्टेट की अपील खारिज की जाती है।

**12.** अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2014 बहाल रखा जाता है।

**13.** निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर